नीतीश कुमार,
मुख्यमंत्री, बिहार

पूर्व पीठिका

बिहार राज्य का उत्तरी क्षेत्र तथा आंशिक रूप से दक्षिणी क्षेत्र लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ की त्रासदी से प्रभावित होता रहा है। राज्य के 28 (अट्ठाईस) जिले बाढ़ प्रवण हैं, जिनमें 15 (पन्द्रह) अति बाढ़ प्रवण जिले हैं। वर्ष 2007 की अतिवृष्टि तथा बाढ़ आपदा एवं वर्ष 2008 में कोसी प्रलय के दौरान सरकार द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक खोज, राहत एवं बचाव कार्यों के अनुभव से यह बात स्पष्ट हुई कि ऐसी आपदाओं के समय आवश्यक गतिविधियों को समन्वित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया का सूत्रण आवश्यक है।

बाढ़ के समय प्रभावित जन समूहों/समुदायों का निरापद निष्क्रमण, लापता व्यक्तियों की खोज, बचाव एवं राहत कार्यों का सफल संपादन करना आदि सरकार के महत्वपूर्ण दायित्व हैं। साथ ही संकटग्रस्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न, क्षतिपूर्त्ति अनुदान, अनुग्रह अनुदान आदि उपलब्ध कराने में राज्य सरकार एवं प्रशासनिक तंत्र की महती भूमिका होती है। अतएव यह आवश्यक हो जाता है कि शासन तंत्र के सभी अवयवों को उनके लिये निर्धारित जवाबदेही का पूर्ण ज्ञान हो ।

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार ने इन्हीं दायित्वों का मोटे तौर पर इस ''मानक संचालन प्रक्रिया'' में निर्धारण किया है। यह दस्तावेज सभी संबंधित पदाधिकारियों के लिये मार्ग-निदेश का कार्य करेगा तथा स्थानीय संसाधनों के ससमय एवं सम्यक् सदुपयोग में सहायक होगा।

इस प्रलेख के संकलन के लिये मैं आपदा प्रबधंन विभाग, बिहार को बधाई देता हूँ। मेरी पूरी उम्मीद है कि बाढ़ पूर्व तैयारियों, बाढ़ की विभीषिका के समय राहत एवं बचाव कार्यों के समन्वय, संकटग्रस्त परिवारों को आवश्यक राहत/अनुदान पहुँचाने तथा बाढ़ के उपरांत प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के कार्यों में यह पुस्तिका अत्यंत कारगर होगी।

नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री
बिहार

(डॉ० रेणु कुमारी कुशवाहा)
मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार।

भूमिका

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रवर्त्तन के उपरांत आपदा प्रबंधन विभाग के कार्य बहुआयामी हो गये हैं। पूर्व के साहाय्य एवं पुनर्वास के स्थान पर रोकथाम (Prevention), अनुक्रिया तथा तैयारी (Response and Preparedness), न्यूनीकरण (Mitigation), साहाय्य (Relief), पुनर्वास (Rehabilitaion), तथा पुनर्निर्माण (Reconstruction), के छह-सूत्री सिद्धांत ने इस विभाग के कार्य को निर्धारित किया हैं। इस सिद्धांत के अनुरूप स्थापित प्रतिमानों को सहज स्वरूप में बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए ''मानक संचालन प्रक्रिया'' में समाविष्ट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सफल नेतृत्व एवं सक्रिय मार्गदर्शन में आपदा के प्रबंधन में कई कीर्त्तिमान स्थापित किये गये है। ''मानक संचालन प्रक्रिया'' संबंधी यह पुस्तिका भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है।

प्रस्तुत पुस्तिका के पाँचों शीर्षक यथा-संस्थात्मक ढाँचा, बाढ़ पूर्व तैयारियाँ, बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव, बाढ़ के पश्चात की जाने वाली कार्रवाईयाँ तथा पुनर्निर्माण-आपदा प्रबंधन के नवीन अवधारणा परिवर्तन (Paradigm Shift) को चिह्नित करते हैं। यह प्रयास किया गया है कि बाढ़ आपदा के समय खोज, बचाव एवं राहत कार्यों में किकर्त्तव्यविमूढ़ता की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रत्येक स्तर पर कार्य का आवंटन तथा जिम्मेदारी का निर्धारण कर दिया गया है ताकि द्रुत एवं अबाधगति से समन्वय के साथ राहत कार्य संपादित किये जायें। मूल उद्देश्य यह है कि आपदा की घड़ी में आम जन को अधिकाधिक सहायता शीघ्रातिशीघ्र पहुँचाई जा सके।

इस दस्तावेज में आपदा प्रबधंन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा समयानुसार निर्गत पत्र/परिपत्र आदि भी अनुलग्नकों के रूप में संलग्न किये गये हैं, ताकि राहत कार्य के संचालन में सरकारी पदाधिकारियों / कर्मचारियों को ढूँढ़ना न पड़े एवं कोई दुविधा उत्पन्न न हो ।

मुझे विश्वास है कि बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए ''मानक संचालन प्रक्रिया'' अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

(डॉ० रेणु कुमारी कुशवाहा)
मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार।

व्यास जी
प्रधान सचिव
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

सत्यमेव जयते

0612-2215600 (O)
0612-2217786 (F)
ई–मेल : secy-disastermgmt-bih@nic.in

पूर्व कथ्य

बिहार के 28 जिले बाढ़ प्रवण जिलों के रूप में चिन्हित हैं। उनमें से 15 जिले अति बाढ प्रवण जिले माने गए हैं। अनुभव से हम जानते हैं कि नेपाल के तराई क्षेत्रों में होनें वाली बारिश के कारण उत्तरी बिहार की नदियों में जल का प्रवाह बढ़ जाता है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। बाढ़ से प्रत्येक वर्ष जन–धन एवं मवेशियों की काफी क्षति होती है। यही नहीं आधारभूत संरचनाओं पर भी कुप्रभाव पड़ता है। मसलन, सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, रेल लाईनें पानी में डूब जाती हैं, पुल–पुलिया ध्वस्त हो जाते हैं एवं भवन धराशायी हो जाते हैं। अतएव आवश्यक है कि बाढ़ के संबंध में पूरी तैयारी की जाए ताकि बाढ़ के कुप्रभावों तथा उससे होने वाले जन–धन की हानी को कम किया जा सके।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के पारित होने के उपरांत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में परिदृश्य बदल गए हैं। आपदा प्रबंधन को अब हम मात्र राहत एवं पुनर्वास के रूप में नहीं देखते अपितु रोकथाम, न्यूनीकरण, पूर्व तैयारियॉं, रिस्पौंस, राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण तथा रिकवरी के परस्पर जुड़े अवयवों के रूप में देखते है। वर्ष 2008 में कोशी आपदा के समय राज्य ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति, संसाधनों एवं सबल नेतृत्व के बल पर यह कीर्तिमान स्थापित किया कि हम कोशी प्रलय जैसी आपदा आने पर भी लोगों को मदद पहुँचाने में सक्षम हैं। वर्ष 2010 में गोपालगंज में गण्डक का तटबन्ध टूट जाने के पश्चात जन–धन की क्षति रोक पाना इसी सक्षमता का सबूत रहा है।

आपदा प्रबंधन विभाग की समझ बनी है कि बाढ़ आपदा से निपटने के लिए जिला पदाधिकारियों सहित सरकार के विभिन्न विभागों एवं एजेन्सियों के लिए "मानक संचालन प्रकिया" (Standard Operation Procedure) का सूत्रण आवश्यक है, ताकि बाढ़ पूर्व तैयारियों, बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव तथा बाढ़ के पश्चात की जाने वाली कार्रवाईयों को करने में पदाधिकारियों को सरकारी निदेशों/ अनुदेशों को

ढूंढने की आवश्यकता न पड़े तथा वे स्पष्ट हों कि उन्हें क्या करना है। आपदा प्रबंधन के लिए स्थिर मन तथा लक्ष्य की स्पष्टता की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतिश कुमार के दिशा निर्देश में आपदा प्रबंधन विभाग ने इस "मानक संचालन प्रकिया" का सूत्रण किया है। सूत्रण सीधी, सरल भाषा में है जिससे राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के सभी साझेदारों को इसे समझने में सुविधा हो सके। साथ ही इसमें बिहार सरकार तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत सभी संबंधित परिपत्र समावेशित किए गए हैं ताकि आपदा प्रबंधन के कार्य में सरकारी निदेशों को लेकर कोई दुविधा उत्पन्न न हो सके।

हम आशा करते हैं कि बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए "मानक संचालन प्रकिया" सभी साझेदारों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही इसके अनुसार कार्रवाईयॉ कर हम जनता को बाढ़ के कारण होने वाली तकलिफों को काफी हद तक कम कर सकेंगे।

(व्यास जी)